तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, लक्ष्मणगढ जिला सीकर** दीवानी विविध सं० 16/20 भगवानदास बनाम नगरपालिका मण्डल लक्ष्मणगढ़	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

दिनांक : 23.03.2020

कोरोना वायरस सक्रंमण रोकथाम के सन्दर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रकरण अर्जेन्ट मामला होने के कारण प्रकरण की सुनवाई जरिये विडियो कांफ्रेंसिंग के की गई, जिसमें अधिवक्ता प्रार्थी श्री सत्यनारायण सैनी व अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मण्डल लक्ष्मणगढ़ ने जरिये Whatsapp Video Conference Call उपस्थिति दी।

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ ने जवाब अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र हेतु अवसर चाहा, जिस पर अधिवक्ता प्रार्थी श्री सत्यनारायण सैनी ने अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया। जिस पर दोनों पक्षों को सुना गया।

प्रार्थी पक्ष के तर्क रहे हैं कि विवादित भूमि भगवानदास तोदी चेरेटीबल ट्रस्ट मुम्बई की भूमि है, जो उनके कब्जे में कॉलेज की स्थापना के समय से ही चली आ रही है और नगरपालिका अतिक्रमी बताकर वादी को उक्त भूमि परिसर से बेदखल कर देना चाहती है और नोटिस की मियाद तीन दिन की थी, जो अब पूरी हो चुकी है। अब किसी भी समय नगरपालिका प्रार्थी को मौके से बदेखल कर कर सकती है। अतः उन्हें अंतिरम निषेधाज्ञा से रोका जावे।

खण्डन में अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका ने निवेदन किया कि वे विस्तृत तथ्य जवाब के साथ पेश कर देगें। उन्हें फिलहाल अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने में आपत्ति नहीं है।

अतः बाद सुनवाई अप्रार्थी नगरपालिका को जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वह हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संदर्भ में आगामी आदेश के अध्यधीन मौके की आज की यथास्थिति बनाये रखे। आदेश सुनाया।

पत्रावली वास्ते पेश होने जवाब दिनांक 27.05.2020 को पेश हो।

(रविकान्त सोनी)